F

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2021 / 260 दिनांक :: 09अप्रैल, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 7 अप्रैल, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 05 फरवरी 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **05 फरवरी 2021** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **05 फरवरी 2021** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 5 फरवरी, 2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 में प्रदत्त समस्त शक्तिया पुनः तहसीलदारो को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत करने बाबत् प्रस्ताव।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 में प्रदत्त समस्त शक्तिया पुनः तहसीलदारो को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत करने बाबत् प्रस्ताव।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती हैं।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनाक 17.04.2015 के प्रस्ताव संख्या 10– के अन्तर्गत प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एंव धारा 31 से 35 सम्बन्धित समस्त शक्तिया उपायुक्त के साथ–साथ जोन तहसीलदार को भी प्रदान करने के निर्णय के क्रम में उपरोक्तानुसार शक्तिया जोन उपायुक्त के साथ–साथ जोन तहसीलदार को प्रदत्त कि गई थी।

प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 4 के अन्तर्गत प्राधिकरण में तहसीलदारो के पद रिक्त रहने की संभावना एंव अतिक्रमण आदि की रोकथाम के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम की धारा 67 एंव धारा 31 से 35 में प्रदत्त समस्त शक्तिया तहसीलदारो से वापस लिया जाकर पुनः जोन उपायुक्तो को ही उक्त धाराओ में वर्णित कार्यवाहियों हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया हैं।

वर्तमान में आवंटित जोनवार तहसीलदार कार्यरत होने के कारण आगामी कार्यकारी समिति की प्रत्याक्षा में प्राधिकरण अधिनियम की धारा 67 एवं धारा 31 से 35 में प्रदत्त समस्त शक्तियां पुनः तहसीलदारो को उक्त धाराओ में वर्णित कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2021/637 दिनांक 16.02.2021 के द्वारा अधिकृत किया गया हैं, जिसका कार्यकारी समिति में अनुमोदन किया जाना हैं।

प्रकरण प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2021/637 दिनांक 16.02.2021 का अनुमोदन/पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नवसृजित पंचायत समिति धवा भवन निर्माण हेतु ग्राम धवा खसरा सं. 463/6 में रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	नवसृजित पंचायत समिति धवा भवन निर्माण हेतु ग्राम धवा खसरा सं. 463/6 में रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति धंवा द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर नवसृजित पंचायत समिति धवा के खसरा संख्या 463/6 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 48–13 बीघा में से 10 बीघा भूमि का आवंटन करने हेतु आवेदन किया गया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ग्राम धवा के खसरा संख्या 463/6 रकबा 48–13 बीघा किस्म गै. मु. गोचर जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। 5 बीघा भूमि में 200ग150 फीट पर चार दिवारी बनी हुई है जिसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा ही कराया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उच्च/अधीनस्थ/राजस्व/सिविल न्यायालय के उपलब्ध पेंडिग ऑनलाइन केय मेनेजमेंट सिस्टम के अनुसार राजस्व ग्राम धवा खसरा संख्या 463/6 रकबा 10 बीघा भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार यू–3 [Highway corridor Zone] में स्थित है और मास्टर प्लान 2031 डीसीआर अनुसार यू–3 में Public utilities state govt. office के अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

आपत्ति/अनापत्ति के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करवाया गया है। कोई उजर एतराज/आपत्ति आने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समिति धवा खसरा नं. 463/6 रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क पंचायत समिति के कार्यालय भवन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पंचायत समिति धवा को ग्राम धवा के खसरा संख्या 463/6 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: मेघरिख शिक्षण एवं चेतना संस्थान को खसरा नं. 98 ग्राम गैलावास में भूमि आवंटन के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	मेघरिख शिक्षण एवं चेतना संस्थान को खसरा नं. 98 ग्राम गैलावास में भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है।

मेघरिख शिक्षण एवं चेतना संस्थान, सिणली रोड धंवा तह. लूणी जिला जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र अ तथा परिशिष्ट–01 प्रस्तुत कर खसरा सं. 98 ग्राम गैलावास में समाज के लिए सार्वजनिक उपयोग हेतु रकबा 1 बीघा अर्थात1936 वर्गमीटर भूमि का आवंन की मांग की है।

संस्थान द्वारा ख. नं. 98 ग्राम गैलावास की भूमि खातेदारी भूमि एक बीघा राज्य सरकार के हक में समपर्ण की गई थी जिसके पृथक में खसरा सं. 98/1 रकबा 1 बीघा है तथा जरिए नामान्तरण सं. 389 दिनांक 28.03.2018 को उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई।

तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा 98/1 रकबा किस्म बारानी द्वितिय का मौका अनुसार चार दीवारी एवं दो कमरे एक हाल इत्यादि निर्मित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार स्कुल, ट्रेनिंग सेन्टर, इंस्टीट्यूट को 30 मी. (100) एवं अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा सं. 98 ग्राम गैलावास के संबंध में कोई विवाद लंबित नही है।

प्रश्नगत प्रकरण में खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से 1 बीघा भूमि मेघवाल समाज के सामुदायिक भवन निर्माण हेतु तहसीलदार लूणी को समर्पण हेतु आवेदन किया गया। तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 15.12.2005 (सी–86) के द्वारा समर्पणनामा स्वीकार किया गया। फलस्वरूप भूमि राजकीय दर्ज होने से प्राधिकरण के स्वामित्व में प्राप्त हुई है। मेघरिख शिक्षण संस्थान उक्त भूमि के खातेदारी समर्पण के आधार पर आवंटन चाहता है। समाजो संस्थाओं को प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोगडा में ही आवंटन

का निर्णय लिया जा चुका है। समाजो एवं संस्थाओ को आवंटन राज्य सरकार के स्तर पर ही नवीनतम आदेशो के अनुसार किया जा सकता है।

प्रश्नगत भूमि ग्राम गैलावास की है प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार ग्राम मोगडा में भूमि आवंटन प्रस्ताव के स्थान पर समर्पण के आधार पर राज्य सरकार को गैलावास की भूमि आवंटन प्रस्ताव अपवाद के रूप में प्रेषित करने संबंधी निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखे जाने हेतु निर्णयार्थ एवं विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने प्रकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार संपूर्ण तथ्य अंकित कर कार्यकारी समिति की उपरोक्तानुसार आवंटन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: दारूल उलूम फलाहे दारेन शिक्षण संस्थान को खसरा सं. 225 ग्राम राजवा में भूमि आंवटन हेतु!

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	दारूल उलूम फलाहे दारेन शिक्षण संस्थान को खसरा सं. 225 ग्राम राजवा में भूमि आंवटन की अभिशंषा की जाती है।

सचिव, दारूल उलूम फलाहे दारेन द्वारा प्रपत्र अ, शपथ पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अनुसार संस्थान दारूल उलूम फलाहे दारेन एज्यूकेशनल सोसायटी जोधपुर के नाम है। संस्था के सचिव द्वारा संस्थान के संविधान की फोटो प्रति, गत तीन वर्ष के आय व्यय की ऑडिट की फोटो प्रति प्रस्तुत कर 30 बीघा भूमि गरीब व अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि गाम राजवा पटवार मण्डल पोपावास तहसील जोधपुर के खसरा सं. 225 रकबा 467–16 बीघा किस्म गै. मु. पहाड मे स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट में भू–उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों कों 30 मीटर व अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।
एसीपी की रिपोर्ट अनुसार वेबसाईट पर अपलोड किया गया उक्त समयावधि में कोई उजर एतराज प्राप्त नही हुआ है।

प्रकरण में सक्षम स्तर से भूमि आवंटन के संबंध में निर्णय लिया जाने हेतु ईसी बैठक में रखा जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

नवसृजित पंचायत भवन हेतु ग्राम उदयसर ख. सं. 157 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

निर्णय

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव के अन्त में अंकित वाक्य "नवसृजित पंचायत भवन हेतु ग्राम उदयसर ख. सं. 157 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।" सहवन से अंकित हो गया है। जिसे इस प्रस्ताव का भाग नहीं माना जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में वर्तमान में प्रभावी/प्रचलित आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवेदक संस्था को कीमतन आवंटन करने हेतु कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: नवसृजित पंचायत भवन हेतु ग्राम उदयसर ख. सं. 157 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नवसृजित पंचायत भवन हेतु ग्राम उदयसर ख. सं. 157 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बालेसर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत् प्रपत्र–स व परिशिष्ट 1 में आवेदन प्रस्तुत कर नवसृजित ग्राम पंचायत उदयसर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु खसरा सं. 157 में किस्म गै. मु. गोचर रकबा 1066 में से 05 बीघा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया था।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदयसर के खसरा सं. 157 रकबा 1066–07 बीघा भूमि किस्म गै. मु. गोचर जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौके पर भूमि खाली है एवं कोई अतिक्रमण नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि Rural Area में स्थित है तथा डीसीआर अनुसार Public Utilities की 12 से 30 मीटर सडक पर अनुज्ञेय किया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर उजर एतराज हेतु अपलोड भी कराया गया। समयावधि में कोई उजर एतराज आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अतः ग्राम पंचायत को भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु

प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नवसृजित ग्राम पंचायत उदयसर को ग्राम उदयसर के खसरा संख्या 157 में से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर में पशु चिकित्सा एंव उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	जोधपुर में पशु चिकित्सा एवं उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध में अभिशंषा की जाती है।

मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के बिन्दु संख्या 116 की अनुपालना में ग्राम पंचायत बालरवा में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु स्वीकृत किया गया है।

ग्राम पंचायत बालरवा, पशु पालन विभाग द्वारा 1000 वर्गमीटर का निशुल्क आवंटन करने हेतु लिखा गया है। प्रस्तावित भूमि ग्राम चैनसिंह नगर पंचायत मण्डल बालरवा के खसरा संख्या 55 रकबा 10.9751 हेक्टर किस्म गै. मु. गोचर जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि रिक्त है तथा प्राधिकरण की भूमि में से चल रही डामर सडक पर स्थित है।

विधि शाखा की रिपेार्ट अनुसार खसरा नं. 55 ग्राम चैनसिंह नगर ग्राम पंचायत बालरवा की भूमि में कोई वाद लंबित नही है। प्राधिकरण की ऑनलाईन वेबसाईट पर भूमि आवंटन से पूर्व उजर एतराज मांगे गये थे जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही है।

मास्टर प्लान 2031 में उक्त भूमि का भू–उपयोग Rural Area में स्थित है। Rural Area की डी. सी.आर अनुसार पब्लिक यूटिलिटि की सभी सड़को (12 मीटर व उससे अधिक) सभी पर अनुज्ञेय है।

अतः उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए सरपंच ग्राम पंचायत बालरवा की मांग अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा नं. 55 रकबा 10.9751 हेक्टर में से 1000 वर्गमीटर भूमि राजकीय पशु चिकित्सा एवं उपकेंद्र आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 55 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: नवगठित पंचायत समिति केरू खसरा नं. 812 ग्राम केरू किस्म गै. मु. भाखर में कार्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नवगठित पंचायत समिति केरू खसरा नं. 812 ग्राम केरू किस्म गै. मु. भाखर में कार्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर मु. मण्डोर द्वारा प्रार्थना पत्र संलग्न प्रपत्र स तथा परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर नवगठित पंचायत समिति केरू खसरा नं. 812 ग्राम केरू किस्म गै. मु. भाखर में कार्यालय हेतु रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया था।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा सं. 812 रकबा 10 बीघा भूमि किस्म गै. मु. भाखर जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि जोधपुर जैसलमेर हाइवे से केरू ग्राम में जाने वाली मुख्य डामर सडक पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत भवन जनउपयोगी सुविधाओ में आता है और यू 3 में अनुज्ञेय किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि का भूउपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार हाइवे कोरिडोर जोन दर्शाया गया है एवं भूमि मास्टर प्लान सडक से प्रभावित नही है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर उजर एतराज हेतु अपलोड भी कराया गया। समयावधि में कोई उजर एतराज आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अतः ग्राम पंचायत को निःशुल्क 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पंचायत समिति कैरू को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क पंचायत समिति कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2021 से मार्च 2022 तक NIC के माध्यम से करवाने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इनवॉइस मे लगभग 60 लाख 60 हजार रूपये का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गवर्नेंश को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में फरवरी 2013 से अब तक किया गया कम्प्यूटराईजेशन NICSI द्वारा संतोषजनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में पहले से चल रहे विकसित विभिन्न पोर्टलों का मेंटेनेंस फाईल ट्रैकिंग सिस्टम (FTS), IDMS Salary and Pension मैनेजमेन्ट सिस्टम, मुख्यमंत्री जनआवास योजना, अनापत्ति प्रमाण पत्र,

ऑनलाइन भुगतान, प्रोपटी रजिस्टर, कम्प्यूटरराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिंग आदि एवं नए पोर्टल को विकसित करना (बेचाना अनुमति, प्राधिकरण के द्वारा जारी किये जानें वाले पट्टों की सॉफ़्ट कॉपी अपलोड करनें हेतु पोर्टल एवं प्राधिकरण की स्कीम के प्लॉट मैनेजमेंट हेतु पोर्टल) महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है।

प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन हेतु NICSI नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इनवॉइस मे लगभग **60 लाख 60 हजार रूपये** का NICSI नई दिल्ली को अग्रिम भुगतान किया जाना है।

अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम भुगतान के अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर कार्यकारी समिति के सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा अग्रिम भुगतान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: अवार्ड संख्या 243/15 ग्राम कुडी भगतासनी के अवार्डी श्याम सुन्दर टॉक पुत्र लालचन्द्र को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 243/15 ग्राम कुडी भगतासनी के अवार्डी श्याम सुन्दर टॉक पुत्र लालचन्द्र को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली आवासीय योजना विवेक विहार आवासीय योजना के अवार्ड संख्या 243/15 के खसरा संख्या 446/306 कुल रकबा 1230.66 व.ग. भूमि अन्तिम अवार्ड सूची में श्याम सुन्दर टॉक पुत्र लालचन्द्र का नाम दर्ज है।

उक्त अवार्ड संख्या 243/15 में चार भूखण्ड (ए–133 रकबा 500 व.ग., ए–52 रकबा 350 व.ग., ए–571 रकबा 311.11 व.ग., ए–528 रकबा 50 व.ग.) आवंटित किये गये थे जिनमें से ए–52 रकबा 350 व.ग., ए–571 रकबा 311.11 व.ग., ए–528 रकबा 50 व.ग. की लीजडीड दिनांक 20.12.2019 को जारी की जा चुकी है। परन्तु ए–133 रकबा 500 व.ग. में पत्रावली के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पटवारी एवं पैरा 13 के अनुसार संबंधित जे.ई.एन. की मौका रिपोर्ट के तहत मौके पर गणेशाराम पुत्र चतराराम का पक्का निर्माण/अतिक्रमण पाया गया है।

गणेशाराम पुत्र चतराराम का विवेक विहार योजना में अवार्ड संख्या 119 है। गणेशाराम के कुल चार भूखण्डों पर पक्का निर्माण किया गया है। गणेशाराम ने पूर्व में पक्के निर्माण पर आवंटित भूखण्डों को बदलने की मांग की है एवं दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना भी दी जा चुकी है। विवेक विहार योजना कुडी भगतासनी का उक्त प्रकरण कार्यकारी बैठक में उक्त भूखण्ड के बदले में नवीन भूखण्ड रकबा 500 व.ग. आवंटित किये जाने हेतु प्रेषित है।

अतः अतिक्रमण की श्रेणी के आये भूखण्ड ए–133 रकबा 500 व.ग. पर पक्का निर्माण होने के कारण गणेशाराम को उक्त कब्जासुदा/अवाप्तसुदा भूमि के एवज में मुआवजे के रूप में अन्यत्र आवंटित किये गये भूखण्डों को रिक्त मानते हुए निम्न चार भूखण्डों में से ए–158 रकबा 500 व.ग., ए–617 रकबा 500 व.ग., ए–630 रकबा 500 व.ग, ए–636 रकबा 500 व.ग. में से एक भूखण्ड का आवंटन अतिक्रमित भूखण्ड ए–133–500 व.ग. के एवज में अवार्ड संख्या 243/15 के अवार्डी श्री श्याम सुन्दर टॉक पुत्र लालचन्द को आवंटित किया जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपायुक्त–दक्षिण द्वारा प्रस्तुत की गयी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में श्री गणेशाराम को आवंटित भूखण्डों में से कौन–सा भूखण्ड श्री श्याम सुन्दर टाक को आवंटित किया जाना है तथा प्रश्नगत भूखण्डों की मौका रिपोर्ट आदि की विस्तृत जानकारी तथा आवंटन के बारे में दोनों पक्षकारों की लिखित सहमति प्राप्त कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: राजस्व ग्राम हमीर नगर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 320 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 320 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम हमीर नगर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 320 रकबा 53.08 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से ग्राम पंचायत हमीर नगर के भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम हमीर नगर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 320 रकबा 53.08 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 320 ग्राम हमीर नगर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 के ग्रामीण क्षेत्र के डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलिटीज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

(41)

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 320 ग्राम हमीर नगर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 772 दिनांक 16.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत हमीरनगर को ग्राम हमीरनगर के खसरा संख्या 320 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: राजस्व ग्राम रूडकली के खसरा संख्या 287 किस्म गै.मु. लाटा में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम रूडकली के खसरा संख्या 287 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम रूडकली तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 287 रकबा 33.05 बीघा किस्म गै.मु. लाटा में ग्राम पंचायत रूडकली के भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

(6)

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम रूडकली तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 287 रकबा 33.05 बीघा किस्म गै.मु. लाटा राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 287 ग्राम रूड़कली का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में दर्शाया गया है। मास्टर प्लान– 2031 रिपोर्ट अनुसार ग्रामीण एरिया डीसीआर में ग्राम पंचायत उपयोग का पृथक से उल्लेख नहीं है। पब्लिक यूटिलिटीज हेतु Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 287 ग्राम रूड़कली की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 150 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत रूडकली को ग्राम रूडकली के खसरा संख्या 287 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम पंचायत उचियारडा के खसरा संख्या 05 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत उचियारडा के खसरा संख्या 05 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत उचियारडा के खसरा संख्या 05 रकबा 63.17 बीघा किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उचियारडा के खसरा सख्या 05 रकबा 63.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु 02 बीघा भूमि ही खाली उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 05 ग्राम उचियारडा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। उक्त भूमि जोजरी नदी के समीप स्थित है जिसमें नियमानुसार 100' भूमि प्लान्टेशन बेल्ट हेतु आरक्षित रखी जानी होगी। उक्त भूमि उचियारडा से खारडा रणधीर जाने वाली रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार निर्धारित नहीं है। आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 05 ग्राम उचियारडा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 46 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में दिनांक 26.12.2020 को श्री राजुराम विश्नोई के द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि उक्त खसरे की भूमि की किस्म गोचर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा गोचर भूमि में आवंटत किया जाता रहा है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु

प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत उचियारडा को ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: राजस्व ग्राम सोढेर की ढाणी के खसरा संख्या 200/12 किस्म बारानी–तृतीय में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सोढेर की ढाणी के खसरा संख्या 200/12 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम सोढेर की ढाणी तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 200/12

रकबा 32.14 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में से ग्राम पंचायत सोढेर की ढाणी के भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सोढेर की ढाणी तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 200/12 रकबा 32.14 बीघा किस्म बारानी–तृतीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु 01 बीघा भूमि ही खाली उपलब्ध है तथा शेष भूमि पर बिखरी हुई आबादी बसी हुई है। नक्शे में लाल स्याही से प्रस्तावित भूमि को दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 200/12 ग्राम सोढेर की ढाणी का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान–2031 रिपोर्ट डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग में गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को 40 फुट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 200/12 ग्राम सोढेर की ढाणी की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 151 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय

निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत सोढेर की ढाणी को ग्राम सोढेर की ढाणी के खसरा संख्या 200/12 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजस्व ग्राम खारडा रणधीर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 103 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम खारडा रणधीर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से ग्राम पंचायत खारडा रणधीर के भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम खारडा रणधीर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्वास्थ्य केन्द्र के दक्षिण दिशा में चालू रास्ता को छोड़ते हुये ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 103 ग्राम खारडा रणधीर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 डीसीआर अनुसार आवासीय उपयोग में गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को 40 फुट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 103 ग्राम खारडा रणधीर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसके संदर्भ में दिनांक 26.12.2020 को श्री राजुराम विश्नोई के द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर लिखा कि उक्त खसरे की भूमि की किस्म गोचर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा गोचर भूमि में आवंटत किया जाता रहा है। प्राधिकरण के निदेशक विधि की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में निहित चारागाह भूमि में व्यापक जनहित के आधार पर ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा सकती है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत खारडा रणधीर को ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा संख्या 103 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: राजस्व ग्राम कोकुण्डा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 299 किस्म बारानी–प्रथम में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम कोकुण्डा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 299 रकबा 18.10

बीघा किस्म बारानी–प्रथम में से ग्राम पंचायत कोकुण्डा के भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम कोकुण्डा तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 299 रकबा 18.10 बीघा किस्म बारानी–प्रथम राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 299 ग्राम कोकुण्डा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान– 2031 रिपोर्ट डीसीआर अनुसार ग्रामीण एरिया में पब्लिक यूटिलिटी को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 299 ग्राम कोकुण्डा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 771 दिनांक 16.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत कोकुण्डा को ग्राम कोकुण्डा के खसरा संख्या 299 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: उचियारडा एवं विवेक विहार योजना में एसटीपी निर्माण व ओ एण्ड एम हेतु धत सशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	उचियारडा एवं विवेक विहार योजना में एसटीपी निर्माण व ओ एण्ड एम हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2020–21 के बिन्दु सं. 153 के तहत जोधपुर शहर में एसटीपी निर्माण किये जाने की घोषण के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.11.2020 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा टर्न–की–बेसिस पर उचियारडा में 10 एमएलडी एसटीपी हेतु राशि रू. 17.00 करोड़ एवं विवेक विहार योजना में 15 एमएलडी एसटीपी हेतु राशि रू. 22.40 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया था।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात एसटीपी निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी। उचियारडा एवं विवेक विहार योजना में एसटीपी निर्माण की तकनीकी निविदा में सफल रहे बिडर की वित्तीय बिड खोलकर मैसर्स स्टेण्डर्ड इन्फ्राटेक इण्डिया प्रा.लि., हैदराबाद को कार्यादेश जारी किया गया हैं। उचियारडा में एसटीपी निर्माण एवं 10 वर्ष के ओ एण्ड एम हेतु राशि रू. 19.90 करोड़ व विवेक विहार योजना में एसटीपी निर्माण एवं 10 वर्ष के ओ एण्ड एम हेतु राशि रू. 25.20 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त जारी कार्यादेश अनुसार टर्न–की–बेसिस पर उचियारडा में 10 एमएलडी एसटीपी के निर्माण व ओ एण्ड एम हेतु राशि रू. 19.90 करोड़ व विवेक विहार योजना में 15 एमएलडी एसटीपी के निर्माण व ओ एण्ड एम हेतु राशि रू. 25.20 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City

Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City कार्य करवाये जाने की स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की रू. 200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व. सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: अधिशाषी अभियंता जोन उतर के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यो के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन उतर के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर राजकीय भूमि, अधिक एंव अतिरिक्त कार्यो एंव स्थान परिवर्तन कर कराये गये कार्यो के भुगतान के संबंध में निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा पत्र क्रमांक डीई/2019/1908 दिनांक 08.03.2019 एवं 2441 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग राज, जयपुर से निर्देश/स्वीकृति चाही गई थी। उक्त पत्रो के संबंध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर को अपने संदर्भित पत्र द्वारा गैर राजकीय भूमि पर कराये कार्यो की तथा स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कार्य करवाये जाने के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तथा संदर्भित पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों में अतिरिक्त व अधिक कार्य हेतु तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी तथा वित विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 एवं 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में तथा गठित कमेटी दिनांक 05.06.2020 प्राधिकरण कार्य समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प10(01)नविवि/2003 पार्ट दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्राधिकरण द्वारा अपनी सक्षमता में नियमित किया जा सकता है।

(1) अतिरिक्त कार्यों की सूची:–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अतिरिक्त राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	राजकीय चिकित्सालय भदवासिया में सौन्दर्यकरण एवं मरम्मत का कार्य	187/2012–13	मैसर्स मां भवानी कन्स्ट्र कम्पनी	247112.00	49.92
2	रामद्वारा सूरसागर थाने के	90/2012–13	मैसर्स दुर्गा	925619.00	32.72

	पीछे चारदीवारी रेलिंग एवं अन्य विकास कार्य।		एन्टरप्राईजेज		
3	श्री बाबा रामदेव मंदिर रामबाग स्कीम चारदीवारी ऊंची कर रेंलिंग व स्नानाघर निर्माण कार्य।	51/2012–13	मैसर्स शगुन एन्टरप्राईजेज	268988.00	24.82
4	मामा नाडी पार्क में विकास कार्य।	224/2012–13	मैसर्स परिहार कन्स्ट्रक्शन कंपनी	779431.00	20.11
5	चाणक्य नगर पार्क विकास कार्य।	238/2012–13	मैसर्स सोहनलाल भाटी	1379297.00	54.60
6	आंगणवा की 75/1 खसरा की भूमि की शमशान भूमि की चार दीवारी का कार्य।	252/2012–13	मैसर्स परिहार कन्स्ट्रक्शन कंपनी	57669.00	22.63
7	भूटो सिंधियान कब्रिस्तान में विकास कार्य।	20/2012–13	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	1594451.00	43.91
8	धोबीघाट शमशान मंडोर में चार दीवारी टीनशेड एवं कमरा निर्माण कार्य।	91/2012–13	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाह	493840.00	44.91
9	श्रीमाली शिव बाड़ी में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	145/2012–13	मैसर्स चन्द्रविजय एन्टरप्राईजेज	1718905.00	45.32
10	पहाड़िया बेरा रामबाग में हॉल एवं अन्य विकास कार्य।	227/2012–13	मैसर्स परिहार कन्स्ट्रक्शन कंपनी	1063906.00	40.21
11	पाबू बस्ती (लालसागर) में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	263/2012–13	मैसर्स प्रवीण एन्टरप्राईजेज	448244.00	24.47
12	जबरेश्वर महादेव मंदिर मानसागर के पास सामुदायिक भवन कार्य	55/2012–13	मैसर्स उममसिंह गहलोत	1171298.00	31.94
13	पाबूजी मंदिर आंगणवा के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	73/2012–13	मैसर्स अमरज्योति कन्स्ट्रक्शन	262942.00	23.81
14	ईच्छापूर्ण बालाजी सुरपुरा रोड़ पर सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य।	214/2012–13	मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज	3310722.00	64.23
15	रामसागर हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य।	52/2012–13	मैसर्स श्री यादे कन्स्ट्रक्शन कंपनी	348723.00	27.75
16	मदेरणा कॉलोनी में शिव शिखर पहाड़ी पर आदि गौड़ ब्रामण समाज का	165/2012–13	मैसर्स दिनेश कन्स्ट्रक्शन	113004.00	20.28

	सामुदायिक भवन एवं चार दीवारी का कार्य।				
17	वार्ड नं 50 में स्थित नागौरी तेलियान सामुदायिक हॉल में विकास कार्य।	21/2011–12	मैसर्स नजीर एन्टरप्राईजेज	397193.00	41.75
18	नयानगर हरिजन बस्ती में पार्क की चार दीवारी एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	30/2012–13	मैसर्स संदीप परिहार	248847.00	25.98
19	हजरत मशीउल्ला मदरसा एवं इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय खेतानाडी में कमरों का निर्माण कार्य।	110/2012–13	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	1571125.00	25.42
20	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागौरी बेरा में हॉल व बाथरूम का निर्माण कार्य।	95/2012–13	मैसर्स डीके बिल्डर्स	219652.00	53.40
21	ग्राम नेतड़ा गुरू कृपा गौशाला से मुख्य नागौर रोड़ तक सड़क निर्माण कार्य।	80/2012–13	मैसर्स रूद्रदेव कन्स्ट्रक्शन	8482115.00	90.85
22	नाग तालाब से करवा गांव तक सड़क निर्माण कार्य।	32/2012–13	मैसर्स रूद्रदेव कन्स्ट्रक्शन	930122.00	27.75
23	देसूरिया विश्नोईया से देसूरिया खोखरिया तक सड़क निर्माण कार्य।	31/2012–13	मैसर्स रूद्रदेव कन्स्ट्रक्शन	3578585.00	195.09
24	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63, 64 में विभिन्न क्षेत्र की सड़कों का डब्ल्यू बी एस व डामरीकरण कार्य।	264/2013–14	मैसर्स नारायण स्वामी	3107085.00	36.06

(2) अधिक कार्यों की सूची:–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अधिक राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	रामद्वारा सूरसागर थाने के पीछे चारदीवारी रेलिंग एवं अन्य विकास कार्य।	90/2012–13	मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज	1077308.00	38.09
2	उतर जोन बी के विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2012–13 वृक्षारोपण कार्य मय तीन वर्ष संधारण	236/2012–13	मैसर्स प्रेमसिंह पुरखाराम एंड कंपनी	1939704.00	38.22

3	मामा नाडी पार्क में विकास कार्य।	224/2012-13	मैसर्स परिहार कन्स्ट्रक्शन कंपनी	1844851.00	47.60
4	चाणक्य नगर पार्क विकास कार्य।	238/2012-13	मैसर्स सोहनलाल भाटी	982629.00	38.90
5	संतोषी माता मंदिर में विकास कार्य।	239/2012-13	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्र कम्पनी	3911991.00	48.67
6	मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर में हरिजन समाज श्मशान में टीन शेड एवं हॉल निर्माण कार्य।	277/2012-13	मैसर्स रूपा कॉन्ट्रेक्टर्स एंड सप्लायर्स	505406.00	35.88
7	भूटो सिंधियान कब्रिस्तान में विकास कार्य।	20/2012-13	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	1144659.00	31.52
8	कागा स्थित कायस्थ स्वर्गाश्रम में विश्राम गृह एवं अन्य विकास कार्य।	109/2012-13	मैसर्स जितेन्द्र मेघवाल	1084531.00	43.12
9	पहाड़िया बेरा रामबाग में हॉल एवं अन्य विकास कार्य।	227/2012-13	मैसर्स परिहार कन्स्ट्रक्शन कंपनी	330063.00	40.21
10	पाबू बस्ती (लालसागर) में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	263/2012-13	मैसर्स प्रवीण एन्टरप्राईजेज	896145.00	48.93
11	जबरेश्वर महादेव मंदिर मानसागर के पास सामुदायिक भवन कार्य।	55/2012-13	मैसर्स उममसिंह गहलोत	1505543.00	41.06
12	पाबूजी मंदिर आंगणवा के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	73/2012-13	मैसर्स अमरज्योति कन्स्ट्रक्शन	511118.00	204.06
13	रामसागर हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य।	52/2012-13	मैसर्स श्री यादे कन्स्ट्रक्शन कंपनी	1106714.00	88.06
14	रूपनगर महामंदिर में छात्रावास में फर्नीचर का कार्य।	85/2012-13	मैसर्स राकेश बिल्डर्स	991536.00	49.72
15	प्राचीन सिद्धेश्वरी गणेश मंदिर प्रांगण और नवग्रह यज्ञ शाला के पास फाईबर टीनशेड लगाने का कार्य।	85/2012-13	मैसर्स ऑप्शन	2642282.00	232.35

16	ग्राम नेतड़ा गुरू कृपा गौशाला से मुख्य नागौर रोड़ तक सड़क निर्माण कार्य।	80/2012–13	मैसर्स रूद्रदेव कन्स्ट्रक्शन	8692522.00	93.10
17	नाग तालाब से करवा गांव तक सड़क निर्माण कार्य।	32/2012–13	मैसर्स रूद्रदेव कन्स्ट्रक्शन	3431275.00	86.35
18	भाटी कानसिंह कॉलोनी, नारायण कॉलोनी, में सड़क निर्माण कार्य।	250/2012–13	मैसर्स प्रिया कन्स्ट्रक्शन	3187198.00	53.06
19	देसूरिया विश्नोईया से देसूरिया खोखरिया तक सड़क निर्माण कार्य।	31/2012–13	मैसर्स रूद्रदेव कन्स्ट्रक्शन	3887805.00	211.95
20	आरटीओ ऑफिस के पीछे स्थित कॉलानियों में डामरीकरण का कार्य।	11/2012–13	मैसर्स नारायण स्वामी	2042382.00	46.27

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में "अधिशाषी अभियंता जोन उतर के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यों के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: Construction work of Framed Structure for International Auditorium and cultural centre in Govt Polytechnic College Premises at Jodhpur" की लागत राशि रूपये 2000. 00लाख है, की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वितीय वर्ष 2020–21की घोषणा संख्या 146–147अनुसार जोधपुर में अनतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाना के प्रस्ताव के क्रम में उक्त कार्य की निविदा कार्यवाही आरंभ की गयीं। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में क्रमांक 1293 दिनांक 15.02.2021 को राशि रूपये 2000.00 लाख की जारी की गयी थी। तथा उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक डीई/उतर/2020–21/19 दिनांक 15.02.2021 राशि रूपये 2000.00 लाख की जारी की गयी थी।

उक्त कार्य की निविदा दिनांक 15.02.2021 को जारी की जाकर दिनांक 19.03.2021 को तकनीकी निविदा खोली गयी। तत्पश्चात् दिनांक 26.03.2021 को उक्त कार्य की वितीय निविदा खोली गयी। जिसमें M/s LNA Infrastructure Pvt Ltd को न्यूनतम दरदाता घोषित किया जाकर नेगोशियेशन लिया गया।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में "Construction work of Framed Structure for International Auditorium and cultural centre in Govt Polytechnic College Premises at Jodhpur" की लागत राशि रूपये 2000. 00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी तथा इस पर राशि रूपये 60.00 करोड़ व्यय होने की संभावना है। अतः पहले चरण में राशि रूपये 2000.00 लाख की आवश्यकता होने के कारण राशि रूपये 2000.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया जाकर उपरोक्त प्रस्तावानुसार 2000.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: जोन पश्चिम बी में पेच रिपेयर कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अतिरिक्त व अधिक कार्य की स्वीकृति का एजेण्डा।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	जोन पश्चिम बी में पेच रिपेयर कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अतिरिक्त व अधिक कार्य की स्वीकृति का एजेण्डा।

इस कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 25.00 लाख है। कार्य पर कुल व्यय रूपये 4222074 हुआ है। अतः रू. 1722074 /– की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यकता है। इस कार्य पर अतिरिक्त कार्य 800022/– हुआ है, जो कि कार्य आदेश का 36.77% तथा अधिक कार्य 1307448/–रूपये हुआ है, जो कि कार्यादेश का 60.08% है। अतः इस कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति रू. 17,22,074/– एवं कुल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधिक रूपये 4222074

अधिक कार्य रू. 1307448/– व अतिरिक्त कार्य रू. 800022/– की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यों के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: सूथला के शमशानों में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण के कार्य के अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

क्र. स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	सूथला के शमशानों में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण के कार्य के अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

इस कार्य को पूर्ण करवाने हेतु अतिरिक्त कार्य रूपये 716502.16 का सम्पादित करवाया गया था। जो कि कार्यादेश का 23.92% था। तत्कालीन sop के अनुसार इसकी सक्षमता आयुक्त महोदय को होने से आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा मे अतिरिक्त कार्य रूपये 716502.16 का स्वीकृत कर दिया था। अतः प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यों के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: **जोधपुर विकास प्राधिकरण पूर्व वर्ष 2012–2013 , 2013–2014 में करवाएँ गये विकास कार्यो में हुए अधिक/अतिरिक्त कार्यो के भूगतान की स्वीकृति हेतु। (स्थानीय विधायक की अनुषंशा पर)**

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर का पत्रांक प.10(01)नविवि 2003 पार्ट/जयपुर दिनांक 10.03.2021 व निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का पत्रांक DE-1455 दिनांक 12.03.2021 तथा संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर का पत्रांक प.10(01)2003 पार्ट/जयपुर दिनांक 10.03.2021 व निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का पत्रांक DE-1473 दिनांक 15.03.2021 प्राप्त हुये है।

प्राप्त पत्रो के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की तत्कालीन SOP एवं RTPP Rule मे प्रदत शक्तियों के अनुसार अधिक/अतिरिक्त राशि की स्वीकृति की जानी है।

प्रस्तुत कार्य राजकीय सेटेलाईट अस्पताल प्रतापनगर में वैकल्पिक चिकित्सा ईकाई एवं विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों के संचालन हेतु हॉल निर्माण कार्य(विधायक कोष) में कार्यादेश दिनांक 13.02.2014 का है जो RTPP नियम लागू होने के पश्चात् का है। तथा अतिरिक्त आईटम रू 279407.79 का है जो Work Order amount 1287391/– का 21.70 प्रतिशत है। जो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के आयुक्त महोदय की सक्षमता में है। अतः उक्त की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

कार्य का नामः– राजकीय सेटेलाईट अस्पताल प्रतापनगर में वैकल्पिक चिकित्सा ईकाई एवं विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों के संचालन हेतु हॉल निर्माण कार्य। (विधायक कोष)
एफटीएस नं.– 18214
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत राशिः– 10.00 लाख
अनुबन्ध संख्याः– एफ38(223)/13–14/मुख्यालय
कार्यादेश राशिः– 12,87,391/– दिनांक 13.02.2014
संवेदकः– मैसर्स हरिओम बिल्डर्स
कार्य शुरू करने की तिथिः– 22.02.2014
कार्य पूर्ण करने की तिथिः– 21.07.2014
कार्य पूर्ण करने की नियत वास्तविक तिथिः– 10.11.2014
कार्य पर वास्तविक व्ययः– 9,35,314/–
Extra item Amount:- 279407.79

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	कार्य की अनुशंषा की जाती है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन

कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यों के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: जोन मुख्यालय द्वारा पूर्व में करवाएं गए कार्यो के अतिरिक्त/अधिक कार्यो की स्वीकृति बाबत।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	**जोन मुख्यालय द्वारा पूर्व में करवाएं गए कार्यो के अतिरिक्त/अधिक कार्यो की स्वीकृति बाबत।**

जोन मुख्यालय द्वारा पूर्व में निम्न कार्य करवाये गये जिनकी अधिक/अतिरिक्त कार्य :–

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या		अतिरिक्त कार्य		अधिक कार्य	
		संख्या	वर्ष	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
01	जालोरियो का बास रामचौक में स्थित सामुदायिक भवन के भूतल एवं प्रथम तल पर रिनोवेशन एवं अपग्रेडेशन कार्य FTS 96268	23	12-13	1749667.18	48.82	726864.06	17.25
02	नागौरियो का बास हॉल का जीर्णोद्वार का कार्य FTS 21562	62	2012-13	489255.39	38.73	96232.46	6.34
03	वार्ड सं 51 में बालाजी मंदिर के पास सडक निर्माण कार्य FTS 21981	65	2012-13	2793851	60.71	6769667	105.52
04	पुरबियो का बास में सडक निर्माण कार्य FTS 96276	30	2012-13	863229.33	40.20	-	-

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यों के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक

भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना, व्यवसायिक योजना एवं भूखण्डो की आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना, व्यवसायिक योजना एवं भूखण्डो की आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1336–1341 दिनांक 23.02.2021 द्वारा प्राधिकरण की नवीन प्रस्तावित योजनाओं, समस्त विकसित योजनाओं तथा गैर योजना क्षेत्रो की आरक्षित दर निर्धारण/पुर्ननिर्धारण एवं नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत जिन योजनाओं की आरक्षित दर निर्धारित किये हुए तीन वर्ष हो चुके है उन योजनाओं एवं गैर योजनाओं की आरक्षित दर पुनः निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :–

1. सचिव प्राधिकरण – अध्यक्ष
2. निदेशक अभियांत्रिकी – सदस्य सचिव
3. निदेशक वित्त – सदस्य
4. संबंधित जोन उपायुक्त – सदस्य
5. संबंधित जोन उप नगर नियोजक – सदस्य

उपरोक्त गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2021 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार भूखण्ड/योजना की आरक्षित दर तय करने की अनुशंषा के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया :–

1. घड़ाव स्थित भूखण्ड की आरक्षित दर रू. 4500/– प्रति व.मी.
2. प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर आंगणवा की व्यवसायिक आरक्षित दर रू. 16000/– प्रति व.मी.
3. ढण्ढ स्थित भूखण्ड की आरक्षित दर रू. 25000/– प्रति व.मी.
4. मोगड़ा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की आरक्षित दर रू. 12550/– प्रति व.मी.
5. मोगड़ा स्थित कर्मचारी कॉलोनी की आरक्षित दर रू. 8000/– प्रति व.मी.
6. प्राधिकरण की दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना बासनी तम्बोलिया में मुख्य सड़क पर स्थित भूखण्डो की आरक्षित दर रू. 15000/– प्रति व.मी.

उपरोक्तानुसार आरक्षित दर निर्धारण एवं स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित दरों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: अधिशाषी अभियंता जोन पूर्व के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन पूर्व के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर राजकीय भूमि, अधिक एंव अतिरिक्त कार्यो एंव स्थान परिवर्तन कर कराये गये कार्यो के भुगतान के संबंध में निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा पत्र क्रमांक डीई/2019/1908 दिनांक 08.03.2019 एवं 2441 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग राज, जयपुर से निर्देश/स्वीकृति चाही गई थी। उक्त पत्रो के संबंध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर को अपने संदर्भित पत्र द्वारा गैर राजकीय भूमि पर कराये कार्यो की तथा स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कार्य करवाये जाने के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तथा संदर्भित पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों में अतिरिक्त व अधिक कार्य हेतु तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी तथा वित विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 एवं 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में तथा गठित कमेटी दिनांक 05.06.2020 प्राधिकरण कार्य समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प10(01)नविवि/2003 पार्ट दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्राधिकरण द्वारा अपनी सक्षमता में नियमित किया जा सकता है।

(1) अतिरिक्त कार्यों की सूचीः–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अतिरिक्त राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	पीलार बालाजी मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	41/2012–13	मैसर्स देवेन्द्र कन्स कम्पनी	2695795.36	151.28
2	जाट समाज मे सामुदायिक हॉल निर्माण कार्य	42/2012–13	मैसर्स देवेन्द्र कन्स कम्पनी	1718418.20	106.06
3	श्री यादे माता पावन धाम मे मेला स्थल चार दीवारी का कार्य	106/2012–13	मैसर्स राजस्थान कन्स	5806796.11	67.16
4	आवासीय योजना खसरा नं. 213 ग्राम मोगडा कला में मुटाम लगाने का कार्य।	09/2012–13	मैसर्स सालावास कन्स कम्पनी	506536.28	100.44

(2) अधिक कार्यों की सूचीः–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अधिक राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	पीलार बालाजी मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	41/2012–13	मैसर्स देवेन्द्र कन्स कम्पनी	1575389.65	73.82
2	जाट समाज मे सामुदायिक हॉल निर्माण कार्य	42/2012–13	मैसर्स देवेन्द्र कन्स कम्पनी	1839108.46	95.38
3	श्री यादे माता पावन धाम मे मेला स्थल चार दीवारी का कार्य	106/2012–13	मैसर्स राजस्थान कन्स	3989551.68	48.06
4	ग्राम धिगाणा ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान से खारा बेरा भीमावतो तक सडक निर्माण कार्य	62/2012–13	मैसर्स चौधरी ब्रदर्स	8402432.12	56.28
5	व्यास डेन्टल कॉलेज के सामने पी.जी.एम. रोड से गोदारा की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य।	91/2012–13	मैसर्स सायर ट्रेडर्स	2943303.99	85.97

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में "अधिशाषी अभियंता जोन पूर्व के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यो के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: ग्राम पंचायत दईजर, के खसरा संख्या 105 किस्म गै. मु. मंगरा में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम पंचायत दईजर, के खसरा संख्या 105 किस्म गै. मु. मंगरा में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दईजर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत दईजर के खसरा संख्या 105 रकबा 70.17 बीघा किसम गै.मु. मंगरा में पंचायत भवन निर्माण हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 रकबा 70.17 बीघा किस्म गै.मु. मगरा राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 105 ग्राम दईजर का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र भू–उपयोग में आरक्षित है। ग्राम दईजर खसरा संख्या 105 में गोरमेंट एवं पब्लिक युटिलिटीज की डी.सी.आर अनुसार Central Govt. Office, State Govt. Office अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिसग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 105 ग्राम दईजर की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 675 दिनांक 23.3.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बेबसाइंट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदों /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं 105 रकबा 70.17बीघा किस्म गै.मु मंगरा में पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि जोधपुर विकास प्रधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को दिनांक 26.3.2021 को प्रेषित किया गया है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत दईजर को ग्राम दईजर के खसरा संख्या 105 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: ग्राम पंचायत गुजरावास, के खसरा संख्या 132 किस्म गै. मु. किस्म बारानी द्वितीय में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम पंचायत गुजरावास, के खसरा संख्या 132 किस्म गै. मु. किस्म बारानी द्वितीय में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुजरावास के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत गुजरावास के खसरा संख्या 132 रकबा 10.19 बीघा किसम गै.मु. किस्म बारानी द्वितीय में पंचायत भवन निर्माण हेतु 7.5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम रजासनी के खसरा संख्या 132 रकबा 10.19 बीघा किस्म गै.मु. किस्म बारानी द्वितीय राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 132 ग्राम गुजरावास का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र भू–उपयोग में आरक्षित है। ग्राम गुजरावास खसरा स 132 गोरमेंट एवं पब्लिक युटिलिटीज को Permissioble of all roads afterapproval from comptent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 1113 ग्राम बुधनगर की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 662 दिनांक 17.3.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बैबसाईट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम पंचायत गुजरावास के खसरा संख्या 132 रकबा 10.19 बीघा किसम गै.मु. किस्म बारानी द्वितीय में पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि जोधपुर विकास प्रधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को दिनांक 17.3.2021 को प्रेषित किया गया है। प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत गुजरावास को ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 132 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: ग्राम पंचायत बुधनगर, दईकड़ा के खसरा संख्या 1113 किस्म गै. मु. लाटा में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम पंचायत बुधनगर, दईकड़ा के खसरा संख्या 1113 किस्म गै. मु. लाटा में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बुधनगर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत बुधनगर के खसरा संख्या 1113 रकबा 3.07 किसम गै.मु. लाटा में पंचायत भवन निर्माण हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है। जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 रकबा 3.07 बीघा किस्म गै.मु. लाटा राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1113 ग्राम बुधनगर का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र भू–उपयोग में आरक्षित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विशलेषण मास्टर प्लान 2031 ड्राफट अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 1113 ग्राम बुधनगर की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 585 दिनांक 4.2.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बैबसाईट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः ग्राम बुध नगर के खसरा सं 1113 रकबा 3.07 बीघा किस्म गै.मु लाटा में पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में

राज्य सरकार को समक्ष स्वीकृति हेतु दिनांक 17.3.2021 को पत्र प्रेषित किया गया । प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत बुधनगर दईकडा को ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ग्राम पंचायत भैसेर चावडिया के खसरा संख्या 53 रकबा 491.08 बीघा किस्म गै.मु गोचर मे से 10 बीघा भूमि पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणां	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम पंचायत भैसेर चावडिया के खसरा संख्या 53 रकबा 491.08 बीघा किस्म गै.मु गोचर मे से 10 बीघा भूमि पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भैसेर चावडिया के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत भैसेर चावडिया के खसरा संख्या 53 रकबा 491.08 बीघा किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत भैसेर चावडिया के खसरा संख्या 53 रकबा 491.08 बीघा किस्म गै.मु गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 53 ग्राम भैसेर चावडिया का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार गोरमेंट एवं पब्लिक युटिलिटीज को Permissioble of all roads afterapproval from comptent authority अनुज्ञेय है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विशलेषण मास्टर प्लान 2031 ड्राफट अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 53 ग्राम भैसेर चावडिया की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 684 दिनांक 25.32021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बैबसाईट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को

निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः ग्राम पंचायत भैसेर चावडिया के खसरा संख्या 53 रकबा 491.08 बीघा किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के उपस्थित उपायुक्त–उतर ने अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव में अंकित ग्राम पंचायत का नाम भैसेर चावडिया नहीं होकर वास्तव में भैसेर चावडियाली है। अतः इसे तद्नुसार पढ़ा/माना जाकर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत भैसेर चावडियाली को ग्राम भैसेर चावडियाली के खसरा संख्या 52 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	अन्यत्र भूखण्ड आवंटन के संबंध मे।	श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर डी कीर्तिनगर में दिनांक 26.10.1988 को आवंटन किया गया था तथा सम्पूर्ण राशि दिनांक 07.01.1988 व 15.01.1988 को जमा कराई जा चुकी तथा लाईसेंस दिनांक 21.04.1989 को जारी है। मौके पर कच्ची बस्ती के तहत सेर्व संख्या 7/36 के द्वारा श्रीमति मीना देवी स्व. श्री शंकर लाल को भूखण्ड संख्या 58 सैक्टर डी कीर्ति नगर का नियमन

दिनांक 28.02.2003 को हो चुका है। तथा वर्तमान कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोढ अनुसार वर्तमान में भूखण्उ पर श्रीमति मीना देवी पत्नि स्व. श्री शंकर लाल का कब्जा होना बताया हैं। प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर डी कीर्ति नगर के एवंज में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की गई हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 में रखा गया । कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 8 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर डी कीर्ति नगर के समतुल्य क्षेत्रफल का भूखण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यू.डी.एच. से पत्र क्रमांक 5675 दिनांक 19.6.2017 का सचिव महोदय को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ। जिनके अनुसार प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश को भूखण्ड आवंटन के लिए सहमती मांगी गई। प्रार्थी ने पत्र में लिखा है कि

उक्त योजनाओं में सड़क सिविर लाईन, आदि कई प्रकार की सुविधाए नही होने के कारण प्राधिकरण की रामराज नगर योजना या विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। पुनः प्राधिकरग की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.52019 के प्रस्ताव संख्या 19 में बैठक बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी की मांग को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा 15.2.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना या रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन की मांग की हैं

अतः भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर डी कीर्तिनगर के एवज में अन्यत्र भूखण्ड आवंटन के संबंध में सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना के भूखण्ड रिक्त होने की स्थिति में प्रकरण पुनः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के लिए प्राधिकरण की प्रस्तावित नवीन आवासीय योजना महात्मा गांधी नगर योजना में शिफिटंग हेतु भूखण्डों का प्रावधान किया जावे तथा योजना लांच/लागू होने पर समतुल्य समान आकार, समान चौड़ी सडक पर समान क्षैत्रफल का वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 रकबा 59.04 बीघा किस्म गै.मु गोचर मे से 10 बीघा भूमि में भूखण्डो की निलामी हेतु।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	भूखण्डो की निलामी हेतु	ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 रकबा 59.04 बीघा किस्म गै.मु गोचर मे से 10 बीघा भूमि में भूखण्डो की निलामी हेतु।

आयुक्त महोदय के निदेशानुसार ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 रकबा 59.04 बीघा किस्म गै.मु गोचर मे से 10 बीघा भूमि में भूखण्डो की निलामी हेतु निद्रेशित किया गया।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 66 ग्राम घड़ाव में पूर्व में अतिक्रमियो द्वारा किये गये अतिक्रमण यथा बाड़ बन्दी, तारबन्दी आदि हटा दिये गये है। उक्त भूमि पर केवल एक मकान जो कि रोड के मध्य बिन्दू से 100 फीट छोड़ने के बाद हरित पट्टी में आ रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान (ड्राफ्ट) अनुसार नॉलेज सिटी में दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति /सुझाव प्राप्त नही हुई है। खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद विवाद लम्बित नही है।

अतः ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 रकबा 59.04 बीघा किस्म गै.मु गोचर मे से 10 बीघा भूमि मे भूखण्डो की निलामी हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपायुक्त उत्तर द्वारा बताया गया कि यह ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 में पूर्व प्रस्ताव में 10 बीघा के स्थान पर उसको लगभग 14 बीघा भूमि पढ़ा जावे जिसका एकल भूखण्ड के रूप में नीलामी की जानी प्रस्तावित है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: ग्राम मणाई में पशु चिकित्सा उपकेन्द हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम मणाई में पशु चिकित्सा उपकेन्द हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मणाई के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत मणाई के खसरा संख्या 57 रकबा 86.17 बीघा किस्म गै.मु गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत मणाई के खसरा संख्या 57 रकबा 86.17 बीघा किस्म गै.मु गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 57 ग्राम मणाई का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र आरक्षित है। गोरमेंट एवं पब्लिक युटिलिटीज को Permissioble of all roads afterapproval from comptent authority उल्लेख का है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विशलेषण मास्टर प्लान 2031 ड्राफट अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 57 ग्राम मणाई की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 696 दिनांक 1.4.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बैबसाईट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

अतः ग्राम पंचायत मणाई के खसरा संख्या 57 रकबा 86.17 बीघा किस्म गै.मु गोचर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पशु चिकित्सा उप केन्द्र मणाई को ग्राम मणाई के खसरा संख्या 57 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 34 :: भूखण्ड सं. बी 176 कीर्तिनगर की एवंज में अन्य सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में आवंटन करने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	भूखण्ड सं. बी 176 कीर्तिनगर की एवंज में अन्य सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में आवंटन	भूखण्ड सं. बी 176 कीर्तिनगर की एवंज में अन्य सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री शेरसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को किर्तीनगर आवासीय योजना में दिनांक 11.09.88 को लॉटरी द्वारा सेक्टर बी में भूखण्ड सं. 176 माप 83.61 व मी का आवंटन किया गया था। भूखण्ड सं. 176 का लाईसेंन्स प्रार्थी के नाम जारी किया गया हैं। कीर्ति नगर सेक्टर बी में अन्य कब्जेधारियो का अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नही दिया गया है। प्रार्थी ने भूखण्ड सं. बी–176 के स्थान पर अन्यत्र भूखण्ड आंवटन करने की मांग की है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.10.2010 के प्रस्ताव संख्या 12 में लिया गये निर्णय की अनुपालना में कीर्तिनगर सेक्टर बी में आवंटित भूखण्डो पर अतिक्रमण होने से दिनांक 07.12.2011 को लॉटरी द्वारा सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना मे भूखण्ड आवंटन किये गये है। प्रार्थी श्री शेरसिंह को आवंटित भूखण्ड स. बी–176 कीर्ति नगर योजना के मूल पत्रावली वसूली शाखा में उपलब्ध नही है, एवं न ही चार्ज मे दी गई। पैरा न. 21 में श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा डुप्लीकेट पत्रावली सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रार्थी श्री शेरसिंह आवंटन भूखण्ड बी–176 कीर्ति नगर लॉटरी से पूर्व इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था। जिस कारण से किर्तीनगर सेक्टर बी में आवंटित भूखण्डों पर अतिक्रमण होने से दिनांक 07.12.2011 को निकाली गयी लॉटरी में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या बी–176 को शामिल नही किया गया है। प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या बी–176 की एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन की मांग की है।

अन्य शाखाओ में की रिपोर्ट अनुसार उक्त पत्रावली उपलब्ध नही है। तथा अन्य योजनाओं में उक्त भूखण्ड के एवंज में भूखण्ड आवंटन नही है तथा न ही उक्त पत्रावली चार्ज मे नही मिली है। इसके संबंध में सर्च नोट भी जारी किया जा चुका है उसके पश्चात भी काफी खोजबीन करने पर भी उपलब्ध नही हो

रही है। प्रार्थी श्री शेर सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह द्वारा भूखण्ड सं बी–176 सेक्टर बी कीर्ति नगर के एवं में अन्यत्र भूखण्ड दिलाने की मांग की है। प्रार्थी द्वारा गुम पत्रावली के संबंध में एफ.आई.आर दिनांक 20.12.2020 को करवा दी गई है। इस संबंध में आम सूचना का प्रकाशन भी करवाना उचित होगा।

डुप्लीकेट पत्रावली के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.4.2009 के प्रस्ताव संख्या 9 के अनुसार गुमशुदा पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया है एवं डुप्लीकेट पत्रावली खोलकर अन्यत्र भूखण्ड दिया जाना है। इस संबंध में कनिष्ट अभियंता की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 के अनुसार कीर्ति नगर योजना का ले–आउट प्लान का मौका देखा गया। मौका स्थिति अनुसार मिलान नही हो रहा है। जहा ले–आउट प्लान में सड़क दर्शायी हुई है वहा पर मकान निर्मित है। जिस संबंध में स्थिति स्पष्ट नही की जा सकती है।

कार्याकारी समिति की बैठक दिनांक 21.10.2010 के प्रस्ताव संख्या 12 में लिये गये निर्णय अनुसार आवंटन प्रकरणो में भूखण्ड की संपूर्ण कीमत जमा हो चुकी है। अथवा उनमें लीज डीड भी जारी हो चुकी हैं एवं उन्हे कीर्ति नगर सेक्टर बी में आवंटी को कब्जा नही दिया गया है। उन्हे आंवटित भूखण्डो के बदले प्राधिकरण की सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना के समीप योजना बनाई जाकर समतुल्य भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

अतः भूखण्ड सं. बी 176 कीर्तिनगर की एवंज में अन्य सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के लिए प्राधिकरण की प्रस्तावित नवीन आवासीय योजना महात्मा गांधी नगर योजना में शिफ्टिंग हेतु भूखण्डों का प्रावधान किया जावे तथा योजना लांच/लागू होने पर समतुल्य समान आकार, समान चौड़ी सडक पर समान क्षैत्रफल का वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90 व 90/1 को ट्रांसपोर्ट नगर से डिनॉटिफाइड करने के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	**खसरा स 90 व 90/1 ग्राम आंगणवा के संबंध मे।**	**ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90 व 90/1 को डिनॉटिफाइड करने के संबंध मे।**

ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90/1 मे से 90 बीघा भूमि पुर्व में 27.9.20212 को कृषि मण्डी को हस्तांतरण हो चुकी है। वर्तमान मे खसरा संख्या 90 व 90/1 की शेष भूमि मे से 53.14 बीघा भूमि के मण्डी को हस्तांतरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

जोधपुर नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा सं 90 व 90/1 की 81.08 बीघा खसरा संख्या 90 व 90/1 मे से 53.14 बीघा भूमि का पूर्व भू–उपयोग परिवर्तित/अनुमोदित ट्रांसपोर्ट / ऑटोमोबाइल्स नगर एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग से व्यावसायिक थोक व्यापार/वेयर हाउसिंग गोदाम प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति मुख्य नगर नियोजक राज. जयपुर द्वारा की जाकर

निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व अनुमोदित ट्रांसपोट/ ऑटोमोबाइल्स नगर की योजना डिनॉटिफाइड के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करना होगा।

अतः प्रकरण खसरा संख्या 90 व 90/1 ग्राम आंगणवा को पूर्व उपयोग ट्रांसपोर्ट/ ऑटोमोबाइल्स नगर को डनॉटिफाइड करने हेतु प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति को आवंटित भूमि को ट्रांसपोर्ट/ऑटोमोबाईल्स नगर योजना में से डि–नोटिफाई करने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 36 :: जोन मुख्यालय द्वारा पूर्व में करवाएं गए कार्यो के भुगतान बाबत।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	**जोन मुख्यालय द्वारा पूर्व में करवाएं गए कार्यो के भुगतान बाबत।**

न्यायालय वाणिज्यक न्यायालय, जोधपुर दिवानी मूलवाद संख्या 75/218 मैसर्स भूरट कन्स. कंपनी वर्सेस जेडीए के जरिये पारित आदेश दिनांक 18.02.2019 के विरूद्ध अपील करने अथवा अपील नहीं करने का निर्णय राज्य सरकार से सार्वजनिक भूमि एवं सार्वजनिक भवन आदि पर कराए गए कार्यो के संबंध में मार्ग दर्शन/निर्देश प्राप्त होने के पश्चात किया जावें, निर्णयानुसार "प्रकरण में संवेदक को नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति हेतु ऐजेंडा निम्नानुसार है:–

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या		विशेष विवरण
		संख्या	वर्ष	
01	सखिया भवन मंदिर के पास सार्वजनिक भवन व चार दीवारी का निर्माण कार्य FTS 32845	198	2013-14	उक्त कार्य का द्वितीय व अंतिम बिल राशि रू. 1968 का भुगतान किया जाना है तथा राशि रू. 68791 की एसडी राशि का भुगतान किया जाना है
02	प्रताप नगर बिजलीघर के पीछे नगीना मस्जिद के पीछे सामुदायिक भवन व अधुरे कार्य पूर्ण करने का कार्य FTS 32868	91	2013-14	उक्त कार्य की एस डी राशि रू. 212995.00 का भुगतान किया जाना है
03	96 हुडको क्वाटर के निकट महोदव मंदिंर के पास सार्वजनिक व चार दिवारी निर्माण कार्य FTS	163	2013-14	उक्त कार्य का अंतिम बिल पारित किया जाना है तथा एस डी का भुगतान किया जाना है

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठंक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की स्वीकृति के प्रकरण जो राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित किए हुए हैं। लेकिन जिनकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ऐसे समस्त प्रकरणों में जब तक राज्य सरकार से भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक बिलों का भुगतान करने एवं प्रतिभूति राशि (एस.डी.) लौटाने की कार्यवाही नहीं की जावे। उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित तीनों कार्यों में भी उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37 :: अधिशाषी अभियंता जोन दक्षिण के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन दक्षिण के अधीन गैर– राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर राजकीय भूमि, अधिक एंव अतिरिक्त कार्यो एंव स्थान परिवर्तन कर कराये गये कार्यो के भुगतान के संबंध में निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा पत्र क्रमांक डीई/2019/1908 दिनांक 08.03.2019 एवं 2441 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग राज, जयपुर से निर्देश/स्वीकृति चाही गई थी। उक्त पत्रो के संबंध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर को अपने संदर्भित पत्र द्वारा गैर राजकीय भूमि पर कराये कार्यो की तथा स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कार्य करवाये जाने के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तथा संदर्भित पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यो में अतिरिक्त व अधिक कार्य हेतु तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी तथा वित विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 एवं 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में तथा गठित कमेटी दिनांक 05.06.2020 प्राधिकरण कार्य समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प10(01)नविवि/2003 पार्ट दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्राधिकरण द्वारा अपनी सक्षमता में नियमित किया जा सकता है।

(1) अतिरिक्त कार्यों की सूची:–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अतिरिक्त राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	राजपुरोहित समाज श्मशान ग्राम सांगरिया में हॉल स्नानघर टीन शैड निर्माण कार्य	112/2012–13	मैसर्स विशनाराम	294823.87	21.00

2	जोन दक्षिण मे विभिन्न स्थानो पर सिविल रिपेयर का कार्य	1/2012–13	मैसर्स जे.एस.के इन्टरप्राईजेज	182649.16	21.25

(2) **अधिक कार्यों की सूचीः–**

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अधिक राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	राजपुरोहित समाज श्मशान ग्राम सांगरिया में हॉल स्नानघर टीन शैड निर्माण कार्य	112/2012–13	मैसर्स विशनाराम	393247	28.00
2	जोन दक्षिण बी मे विभिन्न स्थानो पर पेवर से डामरीकरण का कार्य	59/2012–13	मैसर्स रामसिंह सांखला	1127858.50	42.31
3	विवेक विहार योजना वर्ष 2011– 12 में वृक्षारोपण का कार्य मय 3 वर्ष रखरखाव	23/2011–12	मैसर्स श्री बालाजी नर्सरी	6056521.30	37.50
4	मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर एंव चार दिवारी के आस पास एंव शास्त्री सर्कल एंव उसके आस पास वृक्षारोपण तीन वर्ष तक रखरखाव कार्य	1/2010–13	मैसर्स श्री बालाजी नर्सरी	3060701	99.22

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में "अधिशाषी अभियंता जोन दक्षिण के अधीन गैर-- राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों कीं स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों की राशि को सम्मिलित करते हुए यदि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि गैर राजकीय भूमि, अतिरिक्त एवं अधिक कार्यों एवं स्थान परिवर्तन कर करवाये गये विकास कार्यों के भुगतान की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित सूची में अंकित कार्यों

के संबंध में जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं कार्यों के नियमानुसार स्वीकृत राशि की सीमा तक भुगतान की कार्यवाही की जावे अन्य समान प्रकृति के कार्य जो राज्य सरकार को प्रेषित सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके भुगतान की कार्यवाही राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं की जावे।

प्रस्ताव संख्या 38 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत विस्तार एवं ग्राम सेवक क्वार्टस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 में **पंचायत विस्तार एवं ग्राम सेवक क्वार्टस** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **पंचायत विस्तार एवं ग्राम सेवक क्वार्टस** प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को सभी सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 761 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट

हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में ग्राम सेवक क्वार्टस निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, बजट प्रावधान, प्लान तथा प्रस्तावित भूमि का गुगल मैप/राजस्व नक्शे पर अंकन सहित विस्तृत विवरण आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में किसान सेवा केन्द्र प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 में **किसान सेवा केन्द्र** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **किसान सेवा केन्द्र** प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को सभी सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 762 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों

को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में किसान सेवा केन्द्र निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, बजट प्रावधान, प्लान तथा प्रस्तावित भूमि का गुगल मैप/राजस्व नक्शे पर अंकन सहित विस्तृत विवरण आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 40 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 में **आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **आंगनवाड़ी केन्द्र–द्वितीय** प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को सभी सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 760 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आंगनवाडी केन्द्र–द्वितीय निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, बजट प्रावधान, प्लान तथा प्रस्तावित भूमि का गुगल मैप/राजस्व नक्शे पर अंकन सहित विस्तृत विवरण आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 41 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर में ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 में **ग्राम सेवा सहकारी समिति** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **ग्राम सेवा सहकारी समिति** प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 157 रकबा 15.16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 157 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को सभी सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 157 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 764 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु भूमि आवंटन नीति के तहत आवेदन करने हेतु सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 42 :: राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 किस्म गै.मु. गोचर में 33/11 के.वी. सबस्टेशन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. सं.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 में **33/11 के.वी. सबस्टेशन** प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 रकबा 63.15 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में **33/11 के.वी. सबस्टेशन** प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 218 रकबा 63.15 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि खाली है। जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 218 ग्राम तनावड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटी को सभी सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 218 ग्राम तनावड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 765 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार कीमतन भूमि आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में प्रस्तावित भूमि एवं विद्युत लाईन के संबंध में गुगल मैप/राजस्व नक्शे पर अंकन करते हुए भूमि का चिन्हिकरण कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 43 :: राजस्व ग्राम हमीर नगर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 320 किस्म गै.मु. गोचर में पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव

1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम हमीर नगर के खसरा संख्या 320 में पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम हमीर नगर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 320 रकबा 53.08 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से ग्राम पंचायत हमीर नगर के भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम हमीर नगर तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 320 रकबा 53.08 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर प्रस्तावित भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 320 ग्राम हमीर नगर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान– 2031 के ग्रामीण क्षेत्र के डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलिटीज को च्मतउपेपइसम वद ंसस तवंके ंिमत ंचचतवअंस तिवउ बवउचमजमदज ंनजीवतपजल अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 320 ग्राम हमीर नगर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 772 दिनांक 16.03.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में अवगत कराया गया कि यह प्रस्ताव पूर्व में प्रस्ताव संख्या 11 के रूप में प्रस्तुत होकर निर्णित हो चुका है। निर्णय अपेक्षित नहीं है।

प्रस्ताव संख्या 44 :: ग्राम पंचायत थबुकड़ा खसरा संख्या 489/17 किस्म गै. मु. ओरण में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम पंचायत थबुकड़ा खसरा संख्या 489/17 किस्म गै. मु. ओरण में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

प्रशासक ग्राम पंचायत थबुकड़ा के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र ''स'' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत थबुकड़ा के खसरा संख्या 489/17 रकबा 275.4 किसम गै.मु. ओरण में पंचायत भवन निर्माण हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम थबुकड़ा के खसरा संख्या 489/17 रकबा 275.4 बीघा किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 489/17 ग्राम थबुकड़ा का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार मिक्स लैण्ड यूज मे आरक्षित है। भू–उपयोग में पंचायत भवन अनुज्ञेय है। गोरमेंट एवं पब्लिक युटिलिटीज को Permissioble of all roads afterapproval from comptent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 489/17 ग्राम थबुकड़ा की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 649 दिनांक 12.3.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बैबसाईट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

आम सूचना के संबंध में श्री श्याम सिह द्वारा आपत्ति दिनांक 22.3.2021 को दायर की गई जो कि विधि शाखा में वास्ते विधिक परिक्षण लम्बित हैं।

अतः राजस्व ग्राम थबुकड़ा के खसरा सं 489/17 रकबा 275.04 बीघा किस्म गै.मु ओरण में पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को समक्ष स्वीकृति हेतु दिनांक 17.3.2021 को पत्र प्रेषित किया गया । अतः आपत्ति के विधिक परिक्षण व निर्णय के अधिन रखते हुए प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत थबूकडा को ग्राम थबूकडा के खसरा संख्या 489/17 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय भवन हेतु आवंटन की पुष्टि/अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 45 :: श्रीमति मरूधर कंवर पत्नी श्री पुष्पेन्द्रसिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या 422 सेक्टर ए राजीव गांधी नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/45999	आवंटित भूखण्ड पहाडी पर होने के अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु ।

प्रार्थीनी श्रीमति मरूधर कंवर पत्नी श्री पुष्पेन्द्र सिंह को कार्यालय लॉटरी दिनांक 15.02.2010 के द्वारा भूखण्ड संख्या 422 सेक्टर– ए, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । प्रार्थीनी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवाकर लीजडीड जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थीनी के आवेदन अनुसार प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.06.2010 को लीजडीड जारी की गई ।

प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पहाडी व ढलान पर होने के कारण निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है तथा भूखण्ड तक पहुँचने के लिए मार्गाधिकार भी उपलब्ध नहीं होने के कारण इसी योजना में समान क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की गई ।

प्रार्थीनी के द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग करने पर प्रार्थीनी से रिक्त भूखण्ड संख्या 100 सेक्टर–ए, भूख्ण्ड संख्या 219 सेक्टर–ए, भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर–बी, भूखण्ड संख्या 52 सेक्टर–बी, भूखण्ड संख्या 42 व 43 सेक्टर–डी, तथा भूखण्ड संख्या 67 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 275 का कनिष्ठ अभियन्ता के साथ मौका निरीक्षण करने पश्चात् भूखण्ड आवंटित करने की सहमति मांगी गई । प्रार्थीनी द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के साथ मौका निरीक्षण करने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 67 सेक्टर–बी, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर की लिखित में कार्यालय में सहमति दी गई ।

प्रार्थीनी के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर भूखण्ड संख्या 67 सेक्टर–बी, क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर आवंटित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित किया जावे कि आवंटित किये जाने वाला भूखण्ड किसी अन्य को आवंटन किया जाना प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

एजेण्डा संख्या 46 :: राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 03 रकबा लगभग 10510.85 वर्गमीटर किस्म गै.मु. ओरण भूमि की एकल भूखण्ड के रूप में नीलामी हेतु।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा .	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबघं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 03 रकबा लगभग 10510.85 वर्गमीटर किस्म गै.मु. ओरण भूमि की एकल भूखण्ड के रूप में नीलामी हेतु।

प्रकरण में राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 03 रकबा लगभग 10510.85 वर्गमीटर किस्म गै.मु. ओरण भूमि हेतु पूर्व में प्राधिकरण की दिनांक 07.09.2018 को आयोजित ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति में आवासीय योजना अनुमोदित की गई थी। आयुक्त महोदय द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों एवं प्राधिकरण की आय में वृद्धि के मध्यनजर उक्त भूखण्ड का ऑनलाईन नीलामी के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही की जानी है। जिसके क्रम में प्राधिकरण की ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 21 व 22 जनवरी 2021 में पूर्व में अनुमोदित आवासीय योजना ले–आउट प्लान को निरस्त करते हुये एकल भूखण्ड के रूप में निष्पादन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्तानुसार ही भूखण्ड का साईट प्लान आयोजना शाखा द्वारा पारित किया गया।

जोन राजस्व टीम की मौका जांच कर प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम ढण्ढ तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 03 रकबा लगभग 10510.85 वर्गमीटर किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 03 ग्राम ढण्ढ का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा उक्त भूमि का मल्टीलेवल आवासीय एकल भूखण्ड के रूप में यूनिफाईड बिल्डिंग बाईलॉज 2017 के अनुसार ही साईट प्लान पारित किया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 03 ग्राम ढण्ढ की भूमि से संबंधित एक वाद संख्या 117 रेणुका बनाम स्टेट वगैरा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में लंबित है जिसमें कोई स्थगन नहीं है।

प्रकरण में निदेशक (वित्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2021 को नीलामी हेतु बहुमंजिला आवासीय भूखण्ड की बोली प्रारंभ करने की दर निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक में पारित निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड की ई–नीलामी की न्यूनतम बोली दर 27,500/– रू प्रतिवर्गमीटर रखा जाना तय किया गया है तथा उक्तानुसार ही ईएमडी डिपोजिट एवं नीलामी प्रारंभ करने की दिनांक 12.04.2021 से प्रारंभ करते हुये नीलामी बंद करने की दिनांक 28.04.2021 निर्धारित करते हुये नीलामी कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड की समिति द्वारा आरक्षित दर 25,000/– रू प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गई है।

अतः राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 03 रकबा लगभग 10510.85 वर्गमीटर किस्म गै.मु. ओरण के भूखण्ड की नीलामी हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सर्म्मति से राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 3 किस्म भूमि गैर मुमकिन औरण में से रकबा लगभग 10510.00 वर्ग मीटर भूमि का निस्तारण अविकसित एकल भूखण्ड के

रूप में ऑनलाईन नीलामी के माध्यम से किये जाने तथा इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>बैठक में उपरोक्त प्रस्तावों के अलावा निम्न अनुसार टेबल एजेण्डा प्राप्त हुए। जिनको सर्व सम्मति से बैठक में सम्मिलित कर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया:—</u>

एजेण्डा संख्या 47 :: महाधिवक्ता महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक अधिवक्ता की फीस की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 में प्रस्ताव संख्या 16 एवं 16ए में प्रकरण संख्या डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 6111/2017 गणपत सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य एवं डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 13076/2020 राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य हेतु महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष फीस की स्वीकृति की गई थी। परंतु उनके सहायक अधिवक्ता को महाधिवक्ता महोदय की स्वीकृत फीस का 20 प्रतिशत फीस की स्वीकृति का प्रस्ताव सहवन से तत्समय प्रस्तावित नहीं हो सका था। इस कारण महाधिवक्ता महोदय के सहायक अधिवक्ता को कार्यकारी समिति एवं प्राधिकरण बैठक की कार्योत्तर स्वीकृति के अध्याधीन फीस का भुगतान किया जा रहा है।

अतः महाधिवक्ता महोदय की स्वीकृत फीस का 20 प्रतिशत सहायक अधिवक्ता को फीस के रूप में देने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सभक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 48 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन कार्य से संबंधित फायरवॉल हार्डवेयर अपग्रेड करनें के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव**
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन कार्य से संबंधित फायरवॉल हार्डवेयर अपग्रेड करनें बाबत् अनुमानित लागत दो लाख रूपये की स्वीकृती जारी करवाया जाना प्रस्तावित हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में 2013 से NICSI के माध्यम से कार्मिकों को लगाया जाकर कम्प्यूटराईजेशन एवं प्राधिकरण स्तर पर पोर्टल निर्माण का कार्य करवाया जा रहा हैं। उक्त पोर्टल निर्माण कार्य में डेटा की Security एवं Safety हेतु 2017 में एक Cyberoam Firewall (5 वर्ष के Subscription के साथ) जो कि डेटा को सुरक्षित बनाता हैं क्रय किया गया था। वर्तमान में उक्त Firewall का 1 वर्ष का Subscription शेष रहा हुआ हैं। वर्तमान में नये—नये Malware एवं Cyber Attack को देखते हुए उक्त Firewall को अपग्रेड करवाया जाना आवश्यक हैं क्योकि Cyberoam के द्वारा भी उक्त प्रोड्क्ट की End Of Life दिनांक 31—मार्च—2021 रखी गई हैं। अतः वर्तमान में कार्यरत Cyberoam Firewall को XG Firewall (तीन वर्ष + एक

वर्ष पूर्व के बचे हुए Subscription के साथ कुल चार वर्ष हेतु) में अपग्रेड करवाया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त अपग्रडेशन हेतु अनुमानित लागत दो लाख रूपये हैं।

अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार अपग्रेडशन हेतु 2.00 लाख रूपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2020/ भाग–11/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 49.../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(हरभान मीना)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2021/260 से 277 दिनांक :: 09 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(हरभान मीना)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 7 अप्रैल, 2021 को प्रातः 11.00 बजे श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री डी.एस. चौहान, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
2. श्री ए.आर. जांगिड़, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट (डिस्कॉम), जोधपुर
3. श्री भँवर लाल चौधरी, उप अधीक्षक पुलिस, एससी/एसटी सैल, जोधपुर ग्रामीण
4. श्री संजय झा, वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
5. श्री रमेश कुमार, तहसीलदार जोधपुर – प्रतिनिधि जिला कलक्टर, जोधपुर
6. श्री चीमाराम प्रजापत, पर्यटन अधिकारी, जोधपुर
7. श्री रामपाल जवारिया, प्रबन्धक (प्रसा.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8. श्री एन.आर. मीना, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री सुधीर माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर – दक्षिण
10. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्रीमती कंचन राठौड, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– बैठक / E.C /2021 / दिनांक :–

–:सशोधित कार्यवाही विवरणः–

(कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021)

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 के एजेण्डा एंव प्रस्ताव संख्या 9 में सहवन से NICSI के स्थान पर NIC अकिंत हो गया है। जो की मूल एजेण्डा में NICSI अंकित था।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 के एजेण्डा एंव प्रस्ताव संख्या 9 में NIC के स्थान पर NICSI पढा एंव समझा जावें। यह संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक / E.C /2021 / 260 दिनांक 09.04.2021 का भाग समझा जावें।

(हरभान मीणा)
आर.ए.एस
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– बैठक / E.C /2021 / 279 – 297 दिनांक :– 9.4.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतुः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय , नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय /आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय , जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक , जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड , जोधपुर
05. उपाध्यक्ष राजस्थान स्टेटरियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल **(RAJREDCO)** 307 पिंक टावॅर, नेहरू गार्डन के सामने टोंक रोड जयपुर।
06. उपायुक्त– पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय /यातायाता, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट , जोधपुर /पुलिस अधीक्षक –ग्रामीण , जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), नगर निगम (उत्तर /दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर।
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर / बोरानाडा।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर / प्रबन्धक (याता.) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
13. निदेशक –अभियान्त्रिकी / नियोजन / वित्त / विधी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त– पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / उप सचिव / मुख्यालय / भूमि अवाप्ति अधिकारी , जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम / द्वितीय , जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर
17. प्रोग्रामर , जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एंव वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
19. ....

(हरभान मीणा)
आर.ए.एस
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर